अपील संख्या 146/08/75 एलआर एक्ट

1. सावित्री पत्नी स्व0 लाधूराम जाति जाट निवासियान झाम्बर तहसील व जिला हनुमा (राजस्थान)।
2. गोपीराम
3. प्रेम प्रकाश

पुत्रगण स्व0 लाधूराम जाति जाट निवासियान झाम्बर तहसील व जिला हनुमागढ (राजस्थान)।

—अपीलान्ट

—: बनाम :—

1. बन्सो पत्नी बलवीर सिंह पुत्री दलीप सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ (राजस्थान)।
2. हरचन्द पुत्र श्री नन्द सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
3. चन्द्र पाल पुत्र स्व0 लाधूराम जाति जाट निवासी झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. बखतावर सिंह
5. दलबारा सिंह
6. सरजीत सिंह

पिसरान जोगेन्द्र सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ।

7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—— रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 03.03.2008 न्यायालय उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 49/07 अनवानी बन्सो वगैरा बनाम सावित्री वगैरा

श्री मोहन मुन्जाल अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री राजेश रोकणा रेस्पो0 सं. 1, 2, 4 ता 6

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 7

निर्णय

दिनांक —16.04.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत शर्त 8(2) राजस्थान कॉलोनी कंडीशन पेश कर चक 10 केएसपी के प0न0 163/303 के किला नं0 8, 9, 10 में 2—2 बिस्वा चालु रास्ता मंजूर करवाने हेतु अनुतोष चाहा। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारन में राजिनामा के आधार पर दिनांक 03.03.08 के प0न0 163/303 के किला नं0 7, 8, 9, 10 में 1—1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया। जिससे व्यथित होकर अपीलांटस ने यह अपील पेश की।

राजस्व अपील प्राधिकारी

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्टस अनपढ व गांव के सीधे साधे निवासी है। कथित राजिनामा पर अपीलाण्टस के हस्ताक्षर प्रकरण में साक्ष्य का कहकर कपटपूर्ण तरीके से व अपीलाण्टस पर अनुचित प्रभाव डालकर करवाये गये है इस राजीनामा के तथ्यों की अपीलाण्टस को कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा कथित राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में रास्ता स्वीकृत करने हेतू प्रस्तुत प्रा0 पत्र में चक 10 केएसपी के प0न0 163/303 के किला नं0 8, 9, 10 में 2–2 बिस्वा भूमि वास्ते रास्ता 20000/– रूपये में खरीदना बताया। यदि रास्ता खरीदा गया है और उसकी पालना नहीं होती तो sp. Relief act के तहत सिविल कोर्ट में दावा पेश किया जाना चाहिए। जिस भूमि से रास्ता स्वीकृती के अनुतोष की याचना की है वह भूमि अपीलांटस की मौरूसी खातेदारी भूमि है जो RTA 1955 लागू होने से पहले से अपीलांटस के स्वामित्व की भूमि है तथा मौरूसी खातेदारी भूमि में से उपनिवेशन कॉलोनी कंडीशन 8(2) के तहत रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता। मौरूसी खातेदारी भूमि पर रास्ता स्वीकृत करने की अधिकारिता नहीं होने से राजीनामा भी गैर कानूनी है और उसके आधार पर रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने कथित राजीनामा को स्वीकार कर तथ्यात्मक व विधिक भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि उक्त वर्णित भूमि में रास्ता 1985 से लगातार चालु है। रास्ते के संबंध में घराघरू सहमती से राजीनामा के आधार पर निर्णय हुआ है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने चक 10 केएसपी के प0 न0 163/303 के किला नं0 7, 8, 9, 10 प्रत्येक में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर रास्ते की भूमि के बदले में किला नं0 3 व 8 पश्चिम दिशा में, उत्तर से दक्षिण में 1–1 बिस्वा भूमि अपीलांटस तथा रेस्पों सं0 3 को दी गई है, जो सवर्था उचित एवं न्याय संगत है। इकरारनामा/सहमति के अनुसार रास्ता चालु है अतः पालना हो चुकि है, इस आधार पर अलग sp. Relief act के तहत सिविल कोर्ट में दावा पेश करने का प्रश्न ही नहीं है। तहसीलदार और पटवारी की रिर्पोट के अनुसार भी रास्ता चालु है। जब दोनों पक्षों के मध्य सहमति हो गई है तो मौरूसी का बिन्दु लागु ही नहीं होता है। तकनीकी आधार पर भी अनुतोष को रोका नहीं जा सकता, अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण द्वारा रास्ता के लिए आवेदन पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि पक्षकारन के बीच में पूर्व में लिखित इकरार/सहमति हुई थी जिसका भुगतान भी इनके द्वारा रास्ते हेतु किया गया था। उस जगह 1985 से आज तक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रास्ता चालु है। पक्षकारन की तलबी के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब मांगा। जवाब में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी सं0 5 ता 7 ने प्रार्थीगण के पक्ष को सही बताते हुए रास्ता पूर्व से चालु होना जबाव में अंकित किया। अप्रार्थी 1 ता 4 द्वारा जबाव मे लिखित सहमति होना अस्वीकार किया गया तथा 1985 को Unregistered दस्तावेज साक्ष्य ग्राह्य योग्य नहीं मानते हुऐ रास्ते के संबंध में असहमति अंकित की। तहसीलदार भू धारक के रूप में प्रस्तुत जवाब के रूप में पूर्व से मौके पर रास्ता चालु होना अंकित किया और यह रास्ता मौके पर चक 10 केएसपी के प0नं0 163/303 के किला नं0 7, 8, 9, 10 में से होकर चालु होना बताया जिसके संबंध में मौका रिपोर्ट, नक्शा मौका आदि भी प्रस्तुत किये है, तत्पश्चात पक्षकारन के मध्य राजीनामा हुआ है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सभी पक्षकारन ने रास्ता होना स्वीकार किया है और आपसी सहमति से तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त किला नं0 7, 8, 9, 10 में 1–1 बिस्वा का रास्ता मंजूर करवाने के सहमति दी गई है। राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया। इस सहमति में अप्रार्थीगण 1 ता 4 द्वारा रास्ते हेतु दी गई भूमि के बदले में भूमि दिये जाने का विवरण भी सपष्ट तौर पर अंकित है। अपीलांट द्वारा इन तथ्यों को इंकार करते हुए अपील पेश की गई है। अपील में अनुचित प्रभाव डालकर राजीनामा पर हस्ताक्षर करवाना अंकित किया गया है किन्तु उक्त राजीनामा न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण कि उपस्थिती में तस्दीक हुआ है। इसमें पूर्व में रास्ता होना तथा पूर्व का इकरारनामा होना भी स्वीकार किया गया है। अपीलांट के और से ऐसा कोई कानुनी दृष्टांत भी प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उपरोक्त परिस्थितियों में रास्ता स्वीकृत करने में बाधा हो। सभी काश्तकारों को रास्ते की आवश्यकता है। अपील में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं बताया है। रास्ते के बदले भूमि भी दी गई है। ऐसी स्थिती में अपील सारहीन होने के कारण अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसलशुमार एवं नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मूल चन्द) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official